

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 425]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2016—आश्विन 28, शक 1938

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-19-9-2016-बारह-1.—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि खनिजों के विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना परिवहन और भण्डारण की जांच करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006 के नियम 6 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित जिले में उसके सामने कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट स्थान पर जांच चौकी स्थापित करने का निर्देश देती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	स्थान (3)
1	सीहोर	नसरुल्लागंज से सीहोर मार्ग पर ग्राम नादान में पी.डब्ल्यू.डी. विश्रामगृह के सामने.

No. F-19-9-2016-XII-1.—WHEREAS, the State Government considers it necessary to do so with a view to check the Transportation and Storage of Minerals without lawful authority;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 6 of Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2006, the State Government, hereby, directs to set up the Check Post at the places specified in column (3) of the Table below against district mentioned in column (2) thereof, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Place (3)
1	Sehore	In front of PWD Rest House, at Village Nadan on Nasrullaganj to Sehore road.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण राठी, उपसचिव.